न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार —।

राजस्व आवेदन सं. 41/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चनणीदेवी पत्नी दुर्गाराम 2. रम्भादेवी पत्नी दमाराम, जाति—जाट, नि0 जायडू तह0 रामसर जिला बाडमेर 3. धापुदेवी पत्नी पदमाराम, जाति—जाट, नि0 उपरला, तह0 चौहटन जिला बाडमेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार (भू0अ0) हरसाणी/गडरारोड़

उपस्थित :— 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राज पेरोकार तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

—: आदेश:—

दिनांक : —20.01.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा—उतरीडेर, पटवार मण्डल—रेडाणा, तह0 गडरारोड़ प्रार्थीनी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 338/171 रकबा 1.9425 हैक्टैयर, प्रार्थीनी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 2.2662 हैक्टैयर तथा प्रार्थीनी संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 339/171 रकबा 3.8850 हैक्टैयर का आये हुए है। प्रार्थीनीगण के उपराक्त खेत मूल खसरा नम्बर 171 से विभक्त खसरा नम्बरान है। जो कि प्रार्थीनीगण ने उक्त भूमि पूर्व खातेदारान से क्रय कर संयुक्त रूप से मौके पर काबिज हुई है। लेकिन सेग्रीगेशन अभियान के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने अपने क्षैत्राधिकार का उल्लघंन करते हुए त्रुटिपुर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर प्रार्थीनीगण के खाते पृथक—पृथक खसरा नम्बर से दर्ज करके लट्ठा नक्शा में भी प्रार्थीनीगण के मौके पर विघमान कब्जे काश्त के विपरीत पृथक—पृथक तरमीम अंकित कर दी गई। लेकिन प्रार्थीनीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की पृथक तरमीम करने संबंधी अपनी ओर से कोई भी सहमति नहीं दी गई थी तथा प्रार्थीनीगण वक्त क्रय से आज दिन तक लगातार उक्त भूमि पर अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त के काबिज होकर काश्त करती आ रही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रृटिपूर्ण तरमीम अंकित कर देने से प्रार्थीनीगण के मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा में भारी भिन्नता आ गई है। जिसे प्रार्थीनीगण दुरस्त करवाने की अधिकारिणी होने से उक्त आवेदन तरमीम दुरस्ती का पेश किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को [illegible] नोटिस तलब किया। विप्रार्थी तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम—उतरी डेर, पटवार मण्डल—रेडाणा, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 171, 338/171, 339/171 रकबा क्रमशः 1.9425, 2.2662, 3.8850 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त खसरे मुल खसरा नम्बर 171 की डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत की गई है। राजस्व रेकर्ड मे तरमीम कब्जा अनुसार नहीं है। अतः पटवार मण्डल—रेडणा के ग्राम उतरी डेर के खसरा नम्बर 171 की तरमीम मौके पर कब्जे काश्त अनुसार संलग्न परिष्ठि—ब किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 18:19:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत् सहमत है। मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार उभय पक्ष मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नक्शा ट्रेस में विद्यमान वर्तमान तरमीम एक दुसरे के विपरीत है। अतः मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में एकरूपता बनाये रखने के लिए तहसीलदार गडरारोड के पत्रांक कोर्ट/2025/64 दिनांक 14.01.2026 से प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा–उतरीडेर, पटवार मण्डल–रेडाणा, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 338/171, 171, 339/171 रकबा कमशः 1.9425, 2.2662, 3.8850 हैक्टेयर के लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम व ऑनलाईन नक्शा में कि हुई तरमिम को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ट–ब** अनुसार नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक कोर्ट/2025/64 दिनांक 14.01.2026 के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़, जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 18:19:42 IST
Reason: SelfAttested